क्रमांक रेत/2017/1300 दिनांक-10.3.2017

निगम की रेत खदानों के नवें चरण की ई-नीलामी से संबंधित प्रीबिड मीटिंग दिनाँक 02.03.2017 का कार्यवाही विवरण

म0प्र0 स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के तत्त्वावधान में प्रशासन अकादमी, भोपाल में दिनाँक 02.03.2017 को निगम की रेत खदानों के नवें चरण की ई-नीलामी से संबंधित प्रीबिड मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें श्री तरूण राठी, उप सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग सह कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड; डॉ0 संजीव सचदेव, प्रभारी अधिकारी, सिया, भोपाल; म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी; संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के रीजनल हेड्स एवं संबंधित खनि अधिकारीगण; निगम के अधिकारी, कर्मचारी, प्रभारी अधिकारीगण; निगम की रेत खदानों की ई-नीलामी में स्वीकृत ठेकेदार तथा 9वें चरण की ई-नीलामी के संभावित बोलीकर्ता व कंसलटेन्ट्स उपस्थित रहे (उपस्थिति पंजी की छायाप्रति संलग्न है)।

2/ कार्यपालक संचालक द्वारा 9वें चरण की ई-नीलामी के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक उद्बोधन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अभी तक 8वें चरण की ई-नीलामी एवं अब 9वें चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया तथा शर्तों में अंतर के संबंध में विस्तार से बताया गया। कार्यपालक संचालक द्वारा 9वें चरण की ई-नीलामी दस्तावेज की शर्तों का पावर पाइंट प्रजेन्टेशन देते हुए, ई-नीलामी पोर्टल, नीलामी की तिथियां, देय अमानत राशि, माईनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, बोलीकर्ताओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां, प्रबंध संचालक के अधिकार, वैधानिक अनुमतियों हेतु निर्धारित समय-सीमा, बोलीकर्ता हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता की शर्तें, अनुबंध निष्पादन की समय-सीमा, किश्तों का प्रारंभ होना एवं किन परिस्थितियों में सुरक्षा राशि राजसात होगी, आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कार्यपालक संचालक द्वारा उपस्थित बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया गया कि बोलीकर्ता को अच्छी तरह से खदान का निरीक्षण, बोली हेतु अनुमानित राशि की उपलब्धता तथा कार्य करने की क्षमता को देखकर ही बोली में भाग लेना चाहिए। **निगम के कार्यपालक संचालक द्वारा उपस्थित बोलीकर्ताओं को यह अवगत कराया गया कि ई-नीलामी दस्तावेज के भाग परिशिष्ट-2 के अनुसार बोलीकर्ता व्यक्तिगत रूप से स्थल निरीक्षण करने तथा रेत खदानों के क्षेत्र एवं उसके उत्खनिपट्टे पर स्वीकृत अवधि से अवगत हो जाएं। बोलीकर्ता स्वयं की पूर्ण रूपेण संतुष्टि कर लें कि उन्हें समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही वे निगम के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा संबंधित/समीपवर्ती जिले/जिलों से संचालित की जा रही खदान/खदानों से भलीभाँति अवगत हो लें तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा विधिपूर्वक किए गए रेत खनिज के स्टॉक से भलीभाँति अवगत होकर अपनी बोली प्रस्तुत करें।**

3/ तदुपरांत श्री ओ. पी. अग्रवाल, उपाध्यक्ष, NeML के द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को नीलामी पोर्टल में बोली लगाने हेतु यूजर मैनुअल की हार्डकापी वितरित कर पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से 9वें चरण की ई-नीलामी के पोर्टल पर

बोलीकर्ताओं द्वारा प्रतिभागिता के संबंध में डेमो प्रस्तुत कर बोली में भाग लेने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया।

4/ इसके उपरांत श्री एन. के. हंस, उप संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा माईनिंग प्लान से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि सामान्यतः अधिक से अधिक 20 दिनों में माइनिंग प्लान स्वीकृत होकर प्राप्त हो जाता है।

5/ इसके उपरांत एप्को के प्रतिनिधि डॉ0 संजीव सचदेव द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी विस्तार से दी गई। उनके द्वारा पर्यावरण के संबंध में आवश्यकता एवं तद्संबंध में बनाए गए अधिनियम/नियम के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक हुए संशोधनों की जानकारी देते हुए पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्रदान की गई और बताया गया कि वर्ष 2012 के नोटिफिकेशन द्वारा भारत सरकार ने 5.000 हे0 से कम की खदानों के लिए भी पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक कर दी गई है।

6/ अन्त में, प्रश्न एवं उत्तर सेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया तथा व्यवहारिक एवं नियमानुकूल सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। प्रश्न – उत्तर सेशन में निम्न प्रश्न/सुझाव प्राप्त हुए :–

(1)**प्रश्न–रेत खदानों में भारी मशीनरीज़ के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है जिससे कार्य करने में कठिनाई है ।**

उत्तर–ठेकेदारों को पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार रेत खनन करना होगा।

(2)**प्रश्न–वैधानिक अनुमतियां निगम/कलेक्टर द्वारा प्राप्त करने के उपरांत ही रेत खदानों की नीलामी की जावे।**

उत्तर–निगम द्वारा जारी ई नीलामी दस्तावेज में ठेकेदार द्वारा ही वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में निविदा दस्तावेज की बोलीकर्ताओं को निर्देश की कंडिका 2.21 का अवलोकन करें।

(3) **प्रश्न :– यदि खंदान/खदानों की वैधानिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो इसमें ठेकेदार का कोई दोष नही होने के कारण पूर्ण सुरक्षा राशि जप्त न की जावे बल्कि समानुपातिक सुरक्षा राशि में से 10 प्रतिशत जप्त कर शेष राशि वापस करने का प्रावधान होना चाहिए। अपितु उपयुक्त होगा कि निगम वैधानिक स्वीकृति आवेदन निरस्त होने पर पूर्ण सुरक्षा राशि वापस करें।**

उत्तर–निगम द्वारा इस विषय पर विचार किया जावेगा तथा यदि ई नीलामी दस्तावेज के प्रावधानों से अलग यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

(4) प्रश्न :– यदि किसी समूह की खदान/खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां समय पर नहीं मिलती हैं, तो पूर्ण सुरक्षा राशि जप्त न की जावे बल्कि यदि यह पाया जाता है कि ऐसे प्रकरण/प्रकरणों में वैधानिक स्वीकृतियां अप्राप्त रहने का कारण ठेकेदार के नियंत्रण से परे है तो समय वृद्धि प्रदान की जावे एवं ठेके की सामान्य शर्तों की कंडिका 2.1(iv) में उल्लेखित किश्त का भुगतान करने से बोलीकर्ता को छूट प्रदान की जावे।

उत्तर–निगम द्वारा इस विषय पर विचार किया जावेगा तथा यदि ई नीलामी दस्तावेज के प्रावधानों से अलग यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

(5) प्रश्न :– यदि किसी खदान खदान/खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां ठेका मात्रा से कम मात्रा की मिलती हैं, तो कम मात्रा पर ही ठेका संचालित कराये जावे।

उत्तरः–इस बावत ठेके की सामान्य शर्तों की कंडिका 2.21(iv) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

(6)प्रश्न :– यदि किसी समूह की एक या अधिक खदान/खदानों की वैधानिक स्वीकृति /स्वीकृतियां निरस्त हो जाती हैं किन्तु समूह में शेष खदान/खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती हैं तो समूह की समस्त खदानो का ठेका निरस्त न किया जावे बल्कि निरस्त खदान/खदानों की समानुपातिक सुरक्षा राशि में से निरंक/10 प्रतिशत (जैसा प्रावधान हो) जप्त कर शेष राशि वापस करने का प्रावधान होना चाहिए तथा समूह की जिन खदानों की समस्त वैधनिक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं केवल उनसे ही ठेका संचालित किया जावें तथा समानुपातिक रूप से ठेका मात्रा व ठेका मूल्य कम किया जावे।

उत्तर–निगम द्वारा इस विषय पर विचार किया जावेगा तथा यदि ई नीलामी दस्तावेज के प्रावधानों से अलग यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

(7) प्रश्न –ठेकेदारों द्वारा खदान का निरीक्षण करने के समय निगम के संबंधित प्रभारी अधिकारी उन खदानों के को–आर्डीनेट्स भी उपलब्ध करावें ।

उत्तर–निगम के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वे ठेकेदारों को खदान का राजस्व नक्शा उपलब्ध कराने के साथ ही यथासंभव को–आर्डीनेट्स भी उपलब्ध करायें।

(8) **प्रश्न –यदि निर्धारित समयावधि में ठेकेदार वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं कर पाता है तो ठेकेदार की ठेका अवधि एवं किश्त प्रारंभ हो जाएगी किंतु इस अवधि की मात्रा ठेकेदार शेष अवधि में कैसे उठा पायेगा ।**

उत्तर–निगम द्वारा इस विषय पर विचार किया जावेगा तथा यदि ई–नीलामी दस्तावेज के प्रावधानों से अलग यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो पृथक से अवगत कराया जायेगा।

(9) **प्रश्न –NeML के पोर्टल पर TIN नंबर आवश्यक बताया गया है इसे ऐच्छिक किया जाए ।**

उत्तर–इस संबंध में NeML ने सूचित किया है कि जो बोलीकर्ता PAN Card उपलब्ध करायेगा, उनका पंजीयन किया जाएगा किंतु TIN नंबर के प्रमाण पत्र की छायाप्रति एक माह में उपलब्ध कराना होगी।

ई–नीलामी में बोलीकर्ता को कोई समस्या आने, प्रक्रिया जानने व समझने हेतु NeML के उपाध्यक्ष श्री ओ. पी. अग्रवाल एवं उनके सहयोगी श्री जितेन्द्र रायकवार व श्री दिलीप इंगले के मोबाइल नंबर के साथ–साथ टोल फ्री नंबर व ई–मेल आई.डी. की जानकारी दी गई। साथ ही अवगत कराया गया कि आगामी सप्ताह में NeML के उक्त कर्मचारी प्रत्येक कार्य दिवस में निगम मुख्य कार्यालय में भी ई–नीलामी की जानकारी देने एवं सहायता प्रदान करने हेतु उपलब्ध रहेंगे जिनसे संभावित बोलीकर्ता ई–नीलामी की प्रक्रिया की जानकारी, पंजीकरण कराने, अमानत राशि जमा करने इत्यादि बावत संपर्क कर सकते हैं।

अंत में सभी उपस्थित प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर प्रीबिड मीटिंग का समापन किया गया।